## अध्याय III

# राज्य में डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन

***लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी थे***

डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गये । राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं में डीबीटी के कार्यान्वयन के समन्वय की दिशा में काम करेगा और राज्य में डीबीटी संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेगा । सचिव, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली ने 12 मई 2016 के समसंख्यक अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक "***राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ***" स्थापित करने का अनुरोध किया, जो केंद्रीय योजनाओं के डीबीटी ओनबोर्डिंग के प्रयासों का समन्वय करेगा और राज्यों को राज्य द्वारा संचालित योजनाओं में भी डीबीटी ढांचे को अपनाने का अवसर प्रदान करेगा ।

राजस्थान सरकार के आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग की सूचना (जुलाई 2020) के अनुसार राज्य में भामाशाह योजना के तहत राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया था और सचिव, आयोजना विभाग को अक्टूबर 2016 में डीबीटी के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (एसपीओसी) के रूप में नामित किया गया था ।

## 3.1 राज्य डीबीटी पोर्टल तथा डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकरण

राज्यों को संबोधित संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी-20011/02/2017-डीबीटी (कैब) दिनांक 11 मई 2017 के अनुसार, डीबीटी ओनबोर्डिंग की प्रक्रिया में लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और योजना विशिष्ट प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) की तैयारी आवश्यक है । प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता वाले विषयों में डीबीटी भारत पोर्टल पर राज्य पोर्टल[53] का निर्माण, योजना विशिष्ट कोड की उत्पत्ति, डीबीटी कार्यान्वयन से बचत की रिपोर्टिंग और राज्य स्तर पर प्रमुख डीबीटी पहल शामिल हैं । उक्त कार्य को पूरा करने के लिए राज्य डीबीटी प्रकोष्ठों को पर्याप्त कौशल और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तंत्र की आवश्यकता है ।

राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के अभिलेखों की जांच से पता चला कि डीबीटी भारत पोर्टल पर राज्य डीबीटी पोर्टल नहीं बनाया गया था । हालांकि, योजना विभाग ने अवगत कराया (जुलाई

[53] www.dbtbharat.gov.in

2021) कि राजस्थान के लिए जन-आधार प्लेटफॉर्म (पहले भामाशाह पोर्टल) का उपयोग राज्य डीबीटी पोर्टल के रूप में किया जा रहा है । इसके अलावा, भामाशाह अधिनियम (जन-आधार अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित) के तहत 164 योजनाओं को अधिसूचित किया गया था । इन सभी योजनाओं का प्रबंधन सम्बंधित विभागों द्वारा संचालित योजना पोर्टलों के माध्यम से किया जा रहा है । जन-आधार पोर्टल पर इन 164 योजनाओं में से केवल 59 योजनाओं[54] की ही जानकारी उपलब्ध थी ।

यह देखा गया कि राज्य का जन-आधार पोर्टल डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं है । यद्यपि राजस्थान से संबंधित डीबीटी की केंद्रीय योजनाओं के संबंध में कुछ जानकारी डीबीटी भारत पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन राज्य डीबीटी योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है । यहाँ तक की जन-आधार पोर्टल पर भी राज्य डीबीटी योजनाओं के महत्वपूर्ण योजना-वार विवरण जैसे-लाभार्थियों की संख्या, प्रति लाभार्थी लाभ हस्तांतरण की राशि, माह-वार/वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, और डीबीटी के कारण बचत आदि उपलब्ध नहीं है । यह भी देखा गया कि राज्य डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध सीमित योजना डेटा वास्तविक समय में अद्यतन नहीं किया जाता है ।

पोर्टल पर योजनाओं के वास्तविक समय के डेटा की कमी के संबंध में विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2020) कि वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है तथा संबंधित विभागों द्वारा डेटा को वास्तविक समय में अद्यतन कराने के लिए प्रकोष्ठ द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ।

यह ध्यान देने योग्य है कि इन कारणों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग के सूचकांकों[55] जैसे *'पोर्टल अनुपालन', 'डेटा रिपोर्टिंग', 'बचत रिपोर्टिंग अनुपालन' और 'बचत व्यय अनुपात'*, में राजस्थान का खराब स्कोर रहा और 100 में से 57.5 के स्कोर के साथ 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान 18वें स्थान पर रहा ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि राज्य डीबीटी पोर्टल को डीबीटी भारत पोर्टल से जोड़ा गया है तथा जब डीबीटी योजनाओं का डेटा डीबीटी भारत पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा तब डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग में राजस्थान के प्रदर्शन में सुधार हो जाएगा । राज्य डीबीटी पोर्टल पर वास्तविक समय में डीबीटी योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध न होने के संबंध में सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं । इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021) ।

राज्य डीबीटी पोर्टल पर सभी योजनाओं की वास्तविक समय में जानकारी की अनुपलब्धता पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की उपयोगिता और प्रासंगिकता को सीमित करती है ।

[54] 16 जुलाई 2021 तक

[55] https://dbtbharat.gov.in/state/state-ranking

## 3.2 सलाहकार बोर्ड का गठन

डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय डीबीटी प्रकोष्ठ के समानांतर निकाय के रूप में एक ***'सलाहकार बोर्ड'*** का गठन किया जा सकता है। इसमें डीबीटी के विभिन्न सहायकों और हितधारकों जैसे सभी सरकारी विभाग जो डीबीटी के दायरे में आने वाली योजनाएं चलाते हैं, यूआईडीएआई, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), आईटी टीम, एनआईसी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस बोर्ड में राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के संचालन के लिए उनकी तकनीकी क्षमता का उपयोग करने हेतु विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) आदि जैसी बहु-पक्षीय एजेंसियों का भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। इस बोर्ड की मुख्य भूमिका राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के कार्यकारी निकाय को समग्र, समुचित सलाह और परामर्श प्रदान करने की होगी। यह निकाय तिमाही में एक बार या किसी अन्य नियमित अंतराल जिसे उचित समझा जाए पर बैठक कर सकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दिशा-निर्देशों में परिकल्पित सलाहकार बोर्ड का राज्य में गठन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ, राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ और सलाहकार बोर्ड दोनों के रूप में कार्य कर रहा है और पृथक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन प्रगति पर है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी (अक्टूबर 2021) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, एनआईसी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, टीएसपी, विश्व बैंक और एडीबी आदि की भागीदारी के साथ, डीबीटी राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

## 3.3 राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली

डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रमुख सचिव (आयोजना/आईटी/वित्त) या समकक्ष स्तर के अधिकारी को राज्य डीबीटी समन्वयक के रूप में नामित किया जा सकता है, जो राज्य के डीबीटी संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी का कार्य करेगा। इसके अलावा, डीबीटी प्रकोष्ठ में एक कार्यान्वयन सहायक स्तर का गठन किया जाना चाहिए जिसमें तीन समन्वयक शामिल हों, जो प्रकोष्ठ के संचालन के लिए तकनीकी, गैर-तकनीकी और वित्त/प्रशासनिक सहायता के लिए जिम्मेदार होंगे और इसमें निदेशक या विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के स्तर के अधिकारी हो सकते हैं।

तकनीकी सहायता समन्वयक को विभिन्न योजनाओं में डीबीटी को लागू करने के लिए आईटी सहायता प्रदान करना और विकासशील योजना/विभाग-विशिष्ट आईसीटी एप्लीकेशन में शोध

इकाई के रूप में कार्य करना था । इसके अलावा, गैर-तकनीकी सहायता की जिम्मेदारियों में डीबीटी के संबंध में राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधा सम्मिलित थी ।

राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है:

**चार्ट 4**

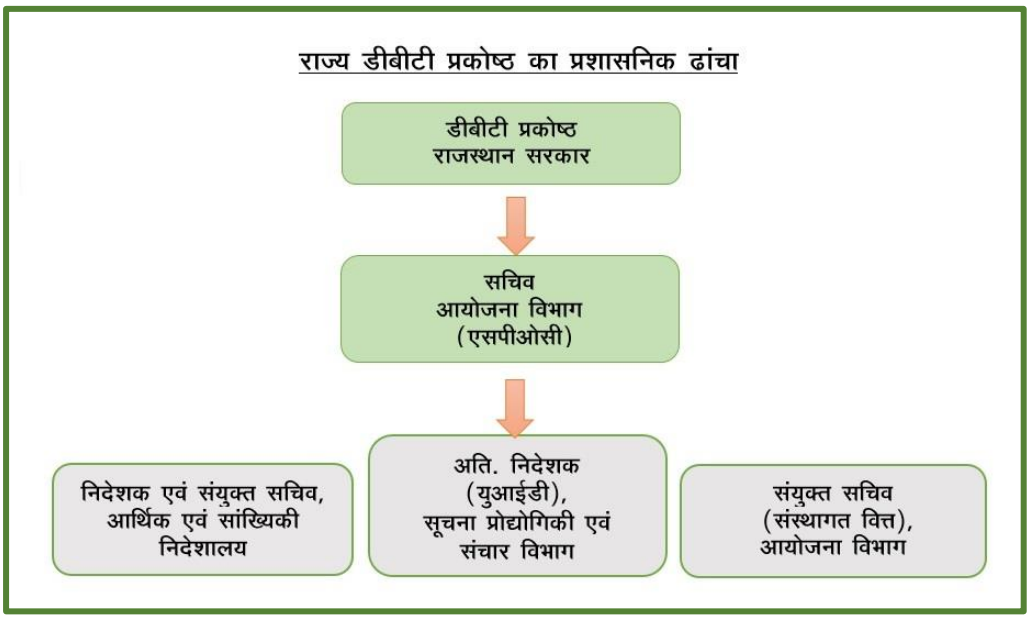


लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (दिसंबर 2020) कि राजस्थान सरकार ने सचिव, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली को सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि सचिव (आयोजना विभाग), राजस्थान सरकार को राज्य में डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (एसपीओसी) के रूप में नामित किया गया था । तथापि, अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि संयुक्त सचिव (संस्थागत वित्त, आयोजना विभाग) एसपीओसी के रूप में कार्यरत थे (दिसंबर 2020) । यह भी देखा गया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ, योजना/विभाग-विशिष्ट आईसीटी एप्लीकेशन्स के विकास में सम्मिलित नहीं है और ऐसे एप्लीकेशन्स का विकास संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है । इसके अलावा, अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2020) से पता चला कि राज्य के कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला आयोजित नहीं किए गए हैं ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि राज्य के आयोजना विभाग के सचिव राज्य डीबीटी समन्वयक हैं और राज्य के डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं । तथापि, अभिलेखों के अनुसार संयुक्त सचिव (संस्थागत वित्त, योजना विभाग) राज्य के डीबीटी संबंधित मामलों के लिए एसपीओसी के रूप में कार्यरत थे । प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला के अभाव के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि दिनांक 10.04.2019, 19.09.2020 और 30.01.2020 को संबंधित विभागों के

लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं । राज्य सरकार ने आगे बताया कि दिनांक 15.09.2021 को डीबीटी के संबंध में संबंधित विभागों के साथ एक संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की गई थी और सभी विभागों के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 27.09.2021 से 10.10.2021 तक निर्धारित किया गया है ।

हालांकि, संबंधित अभिलेखों की जांच (सितंबर 2021) से पता चला कि ये सभी समीक्षा बैठकें थी जहां डीबीटी के कार्यान्वयन में प्रगति का आंकलन किया गया था और आगे के लिये निर्देश दिए गए थे । तथ्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए कदम नहीं उठाए गए ।

***सारांश***

राज्य डीबीटी पोर्टल के रूप में कार्यरत जन-आधार प्लेटफॉर्म का डीबीटी भारत पोर्टल के साथ प्रभावी लिंकिंग का अभाव है तथा इसमें राज्य डीबीटी योजनाओं के महत्वपूर्ण योजना विवरण जैसे कि योजना में लाभार्थियों की संख्या, लाभार्थियों को हस्तांतरित राशि, माह-वार /वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, डीबीटी के कारण बचत आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसके कारण डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग में राजस्थान का स्कोर खराब है । राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के कार्यकारी निकाय को समग्र, समुचित सलाह और परामर्श इनपुट प्रदान करने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन राज्य में नहीं किया गया था । कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनार और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं ।

***अनुशंसाएं***

*राज्य सरकार:*

- *राज्य डीबीटी पोर्टल पर राज्य में सभी डीबीटी योजनाओं की योजना-वार जानकारी की उपलब्धता तथा डीबीटी भारत पोर्टल के साथ इसकी उचित लिंकिंग सुनिश्चित कर सकती है ।*
- *राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ को राज्य के डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए नोडल बिन्दु के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी सहायता का प्रावधान करे ।*